

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-४ डी०(बजट आबंटन)-14-10/2016 151

प्रेषक.

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक ।

सेवा में,

उपनिदेशक(मुख्यालय)
अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग ।

पटना, दिनांक- 30/03/2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष 2225 निदेशन एव प्रशासन के अन्तर्गत मुख्यालय एवं निदेशालय के कार्यालय व्यय ईकाई मद में ₹5,00,000/- एवं व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ ईकाई मद में ₹80,000/- इस प्रकार कुल 5,80,000/- (पाँच लाख अस्सी हजार रू०) मात्र राशि का अतिरिक्त आबंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-139 दिनांक 29.03.2017 के द्वारा कार्यालय व्यय ईकाई, यात्रा व्यय ईकाई एवं व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष 2225 निदेशन एव प्रशासन के अन्तर्गत मुख्यालय एवं निदेशालय के कार्यालय व्यय ईकाई मद में ₹5,00,000/- एवं व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ ईकाई मद में ₹80,000/- इस प्रकार कुल 5,80,000/- (पाँच लाख अस्सी हजार रू०) मात्र राशि का अतिरिक्त आबंटन माँग के आलोक में दिया जाता है।

कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-001 निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों-1301-कार्यालय व्यय, 2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ माँग संख्या-44, विपत्र कोड संख्या N-2225010010001 के उचित ईकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

2- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक(मुख्यालय) अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग होंगे ।

3-वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17/04/98 में निहित आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।

4- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पर होगी।

5- प्रत्येक माह व्यय विवरणी भेजी जाये।

6-इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक- सं०-४ डी०(बजट आबंटन-2225)-14-10/2016 151 पटना, दिनांक- 30/03/2017
प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / विभागीय लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग(दोहरी प्रति में) / सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ज्ञापांक- सं०-४ डी०(बजट आबंटन-2225)-14-10/2016 151 पटना, दिनांक 30/03/17
प्रतिलिपि : कोषांगार पदाधिकारी, सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

1/11/17